

Sch XIV- F.No. 180v

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल | नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

फरद मलकी / फरद रैयती

नाम रैयत मय वलिदयत जमावन्दी

वो सकुनत नम्बर।

Page No. : 67

Vol. No. : 54

Receipt No. : 080205

कोडरमा सदर | तिलैया | 244 | AYSHA KHATOON

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
616	4164	0 एकड़ 1.33 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2018-2019)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष	
माल (नकदी)	0.03					0.03
गुजारी (भावली)	0.01					0.01
सेस	0.02					0.02
सूद	0.02					0.02
मुतफरकात	0.01					0.01
मीजान	0.09					0.09

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2018-2019)	फा
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष		
माल (नकदी)					0.03	
गुजारी (भावली)					0.01	
सेस					0.02	
सूद					0.02	
मुतफरकात					0.01	
मीजान अदायकारी					0.09	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : One Rupees

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- 1.00

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 07-03-

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

AYSHA KHATOON

V

कोडरमा सदर | तिलैया | 244 | AYSHA KHATOON

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
616	4164	0 एकड़ 1.57 डिसमील 0 हेक्टर

अराजी नकदी	अराजी भावती	तफसील हिसाब लगान भावती
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2018-2019)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष	
माल (नकदी)	0.04					0.04
गुजारी (भावती)	0.01					0.01
सेस	0.02					0.02
सूद	0.02					0.02
मुतफरकात	0.01					0.01
मीजान	0.10					0.10

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालवा हाल (2018-2019) -	फर्जा-
	तीन वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	1 ला वर्ष		
माल (नकदी)					0.04	
गुजारी (भावती)					0.01	
सेस					0.02	
सूद					0.02	
मुतफरकात					0.01	
मीजान अदायकारी					0.10	

(1) मीजान कुल (तफर्जों में) : One Rupees

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 1.00

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : 07-03-20 19

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

हात लिखित
0

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 481767170919100028

Date : 17-09-2019

प्रभावी : 2 2018-2019

श्री/श्रीमती/सुश्री : AYSHA KHATOON W/O MD JAMAL KHAN,
मोहल्ला : BHADO DIH JHUMRI TELAIYA
KODERMA , 825409
8409002892

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0170000287000M0 वार्ड सं० 17 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रू० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	
2.	जल कर	29.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		29.00



To be signed by the Applicant

नोट:-
कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हेदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
दि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% ग्री रियायत दी जाएगी।
वैसी देय घृति को निर्दिष्ट समायावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण व्याज देय होगा।
इ कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की तृतीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 19.2 के अनुसार निर्धारित स्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
एर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।
: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

عائشہ خاتون